न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—371 / 2015 / 223 (2015 / 00117)

1. जगदीश पुत्र नारायण,
2. रामस्वरूप पुत्र नारायण,
3. रामचन्द्र पुत्र नारायण,
4. सायरी पुत्री नारायण,
5. प्रेमदेवी पुत्री नारायण,

समस्त जाति जाट, निवासी तेजाजी की गली, ग्राम दौराई, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 7.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 93 / 2004.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता नारायण द्वारा एक वाद अधिकारों की उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम दौराई में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 735, 727, 728, 724 की रही है तथा वादी इन खसरा नंबरान की भूमि पर सदैव काश्त करता चला आ रहा है। संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में खसरा संख्या 735, 727, 728, 724 वादी की खातेदारी में होना प्रमाणित है तथा इसी प्रकार के इंद्राज जमाबंदी खतौनी फसली सन् 1359 में अंकित है । भू—प्रबधं कार्य आरंभ होने के पश्चात् अभिलेख गलत बन जाने के कारण तथा वाद में भू—संशोधन कार्य को मान्यता नहीं मिलने के कारण वादी की खातेदारी की उक्त भूमि के नये बने खसरा नंबर सरकारी भूमि के रूप में अंकित कर दिये गयेय, जिसके पूर्व खसरा संख्या 728 रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 727 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 10 बिस्वांसी,

खसरा संख्या 728 रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी के वर्तमान खसरा संख्या 812 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वांसी तथा पूर्व खसरा संख्या 735 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी के वर्तमान खसरा संख्या 814 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी उक्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जा काश्त राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा इंद्राज परिवर्तन किसी विधिपूर्ण आदेश या कार्यवाही द्वारा नहीं किया जाकर मात्र अवैधानिक कृत्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये जाने का परिणाम है तथा इद्रांज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है । अतः वादी का ग्राम दौराई की कृषि भूमि खसरा संख्या 812 मीन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नंबर 814 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी का खातेदार घोषित किया जावे तथा इद्रांज दुरूस्ती की जाकर भूमि वादी की खातेदारी में अंकित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया तथा कथन किया कि समस्त दस्तावेजात राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां है तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता नारायण के नाम के है, जो कि विवादित भूमियों के खातेदार थे । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात वर्तमान प्रकरण को निर्णित करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. हमनें अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेजात विवादित भूमियों से संबंधित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है जो हस्तगत प्रकरण को न्याय निर्णयन में सहायक दस्तावेज होने से उक्त दस्तावेजात का रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपीलधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 को बिना अपीलांटस की सहमति के कैम्प के दौरान पारित किया है जबकि अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को न तो समुचित रूप से परिक्षित किया गया है, न ही अजमेर के भू–अभिलेख के संबंध में व्याप्त त्रुटियों के संबंध में प्रकरण में विचार किया गया है । अधी0न्याया0 ने अकारण ही जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अध्णि0 तथा अजमेर मध्यस्थता उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधि0 के बारे में अंकन कर मनमाना निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व अभिलेख में अपीलांटस के पिता लगातार काश्त कर रहे है इस कारण वांछित दुरूस्ती किया जाना आवश्यक था, परन्तु राजकीय भूमि वर्तमान में दर्ज होने के कारण विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर वाद निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अकारण ही विवादित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम अंकित होना

वर्णित करते हुए वाद को सुनवाई योग्य नहीं होना मान लिया जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था तत्समय प्रचलित जमाबंदी में जो नवीनतम अंकन था, उसमें राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज थी, तथा वाद के विचाराधीन रहते यदि अभिलेखों में परिवर्तन कर दिया गया हो तो ऐसे परिवर्तन के आधार पर जिस नवीन व्यक्ति या संस्था के नाम का अंकन हो जाने से पूर्व में प्रस्तुत वाद का निर्णय वादकालिन हस्तातंरण से प्रभावित नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी की प्रविष्टि तथा जमाबंदी फसली 1359 की प्रविष्टि से यह पूर्णतया साबित है कि अभिलेखों में पश्चात्वर्ती परिवर्तन राजस्व अभिलेख में मनमाने रूप से किया गया एवं तत्पश्चात् भू–संशोधन के दौरान अपीलांटस के पिता के नाम खातेदारी अंकित की गई तथा भू–संशोधन को मान्यता न हीं मिलने के उपरांत वर्किंग जमाबंदी बनाई गई जिसमें पुनः भूमि को सरकारी दर्ज कर दिया गया तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किये गये 1970 के आवंटन नियमों के तहत जो प्रावधान किया गया उसके अनुसरण में राजस्व कर्मचारियों को वांछित कार्यवाही करनी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई, इस प्रेकार विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसरण में अपीलांटस वादपवत्र में अंकित भूमि के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु अधी0न्याया0 ने इस बाबत् समुचित विवचन विधिपूर्ण पहुंच रखते हुए नहीं किया तथा अपीलांटस के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में कैम्प में बिना सहमति के वाद का निस्तारण कर दिया । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जावे ।

7. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है । वादीगण ने अधी0न्याया0 में प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर केवल मात्र छाया प्रतियां पेश की है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट दौराई में रखकर निर्णित किया है। इस संबंध में अपीलांटस का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में अपीलांटस की सहमति के बिना रखकर तथा अपीलांटस के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर निर्णित किया है। अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है। हम विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि कैम्प कोर्ट में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिनमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में बिना तनकियात कायम किये प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की

गई है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर